GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

No.2014/H-1/19/3/PNM **New Delhi, dated 05.10.2015**

The General Managers,
All Indian Railways & Production Units.

Sub:-Delegation of powers to General Managers to recognize CGHS empanelled hospitals at Zonal level.

The issue of delegation of powers to General Managers of Zonal Railways/Production Units to recognize CGHS empanelled hospitals at Zonal level itself has been considered by the Board. Henceforth, General Managers will be empowered to recognize the CGHS empanelled hospitals for referral of Railway beneficiaries after following the parameters as given below:

(1) The Zonal Railways should identify the specialities for which the treatment for the Railway beneficiaries are required from the CGHS empanelled private hospitals. Even if the CGHS hospitals are recognized for multi-speciality treatment, the reference should be made in the identified specialities which are not available or not possible to dealt in the Railway Hospitals.

(2) The Hospital(s) recognized should be displayed prominently in the website/notice boards, etc. indicating specialities available at Hospital(s) so that Railway beneficiaries are well aware of the availability of such hospital(s) for referral. The Railway beneficiaries should be referred to a particular CGHS empanelled hospital as per his/her preference/choice as the rates of all the CGHS empanelled hospitals are the same.

(3) Advertisements may be published in the newspapers and in the Railway websites seeking Expression of Interest (EOI) from all CGHS empanelled private hospitals located/available in the concerned Zone/Unit. All those CGHS empanelled hospitals who apply for in response to the advertisement should be empanelled.

(4) The rates to be charged by the CGHS empanelled hospitals should be as per the CGHS prescribed rates based on the classification of the Hospitals or the Hospital tariff, whichever is lower, and for those items/procedures/investigations which are not covered under CGHS Rate List, the Hospital should offer some discounts for the same on their Hospital rates as also free ambulance service to the Railways.

(5) The Hospitals should be recognized for a period of two years as done by CGHS or till it is empanelled under CGHS, whichever is earlier. In a situation, when any hospital is de-empanelled by CGHS, the same should be complied with.

(6) While signing the Memorandum of Understanding (MOU)/Agreement between the Railway and CGHS empaneled private hospitals, the format as designed by CGHS but modified as per Railways requirements should be adhered to as it is comprehensive and covers almost all the aspects (As per Annexure).

(7) It may be noted that any private hospitals which are not empanelled by CGHS, the proposal for recognition of such hospital(s) has to come to Railway Board as usual. In case any CGHS empanelled hospital(s) has offered to charge the rates more than the CGHS prescribed rates, the same should also have to come to Railway Board with due justification for examination/approval. However, revision of rates by CGHS itself (either upwardly or downwardly) need not require to be sent to Railway Board for which the powers have already been delegated to GMs vide Board's letter no. 2014/H-1/11/98/AIR dated 09.03.2015.

(8) Further, at least 10% of the referred cases should be subjected to medical audit. It should be done by properly constituted Medical Board by Chief Medical Director. The report should be put up to General Manager annually/six monthly through FA&CAO.

(9) These powers of recognizing the hospital should be personally exercised by General Manager with the concurrence of FA&CAO.

This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

Harvinder Sanhotra

(Mrs. H. K. Sanhotra)
Dy. Director Health & Family Welfare
Railway Board

No.2014/H-1/19/3/PNM **New Delhi, dated .10.2015**

Copy forwarded to:-

1. **The Chief Medical Directors, All India Railways & Production Units.**
2. **The FA&CAOs, All India Railways & Production Units.**

Harvinder Sanhotra

(Mrs. H. K. Sanhotra)
Dy. Director Health & Family Welfare
Railway Board

No.2014/H-1/19/3/PNM **New Delhi, dated .10.2015**

Copy forwarded to:-

1. **Principal Directors of Audit, All India Railways & Production Units.**
2. **Dy. Comptroller & Auditor General of India (Railways), Room No. 224, Rail Bhavan, New Delhi.**

For Financial Commissioner/Railways.

Copy to F (E) Spl. Branch & Health Branch, Railway Board.

ANNEXURE
Board's Letter No: 2014/H-1/19/3/PNM, dt. 5

AGREEMENT

BETWEEN

CMS/MD/CMO/ ACMS-IN-CHARGE .....

AND

.....Name of the Hospital

This Agreement is made on the _____ day of _____, 20..... between the President of India acting through CMS/MD/CMO/ ACMS-IN-CHARGE ..... Government of India having its office at ..... (Hereinafter called Railway, which expression shall, unless repugnant to the context or meaning thereof, be deemed to mean and include its successors and assigns) of the **First Part**

AND

..... *(Name of the Hospital with Address)* of the **Second Part.**

WHEREAS, the .....(Name of the Zonal Railway/ Division with Address) is providing comprehensive medical care facilities to the Employees / Pensioners and such other categories of beneficiaries as are decided from time to time.

AND WHEREAS, ...(Name of the Zonal Railway/ Division) proposes to provide treatment facilities and diagnostic facilities to the Railway Beneficiaries in the private empanelled hospitals, in ----------(Name of City)

AND WHEREAS, *(Name of the private hospital)* has agreed to give the following treatment/ diagnostic facilities to the Railway Beneficiaries at the rates offered by CGHS ---------- -------- (name of city) or hospital rate whichever is lower and for rates which is not covered under CGHS then hospital rates with agreed discount:

.....
.....
.....

NOW, THEREFORE, IT IS HEREBY AGREED between the Parties as follows:

1. DEFINITIONS & INTERPRETATIONS

1.1 The following terms and expressions shall have the following meanings for purposes of this Agreement:

1.1.1 "Agreement" shall mean this Agreement and all Schedules, supplements, appendices, appendages and modifications thereof made in accordance with the terms of this Agreement.

1.1.2 "Benefit" shall mean the extent or degree of service the beneficiaries are entitled to receive as per the rules on the subject.

1.1.3 "Railway Medical Card" shall mean the RMA Card issued by the Railway Authorities.

1.1.4 "RMA Card holder" shall mean a person having a Railway Medical Card.

1.1.5 "Railway Beneficiary" shall mean a person who is eligible for coverage of Medical Services provided by railways.

1.1.6 "Coverage" shall mean the types of persons to be eligible as the beneficiaries of the Railway health services, subject to the terms, conditions and limitations.

1.1.7 "Emergency" shall mean any condition or symptom resulting from any cause, arising suddenly and if not treated at the early convenience, be detrimental to the health of the patient or will jeopardize the life of the patient.

1.1.8 "Empanelment" shall mean the hospitals, authorized by the Railway for treatment/ investigation purposes for a particular period.

1.1.9 "Hospital" shall mean the _____ *(Name of the private hospital)* while performing under this Agreement providing medical investigation, treatment and the healthcare of human beings.

1.1.10 "De-recognition of Hospital" shall mean debarring the hospital on account of adopting unethical practices or fraudulent means in providing medical treatment to or not following the good industry practices of the health care for the Railway beneficiaries after following certain procedure of inquiry.

1.1.11 "Party" shall mean either the Railway or the Hospital and "Parties" shall mean both the Railway and the Hospital.

1.1.12 "CGHS Package Rate" shall mean all inclusive – including lump sum cost of inpatient treatment/ day-care/ diagnostic procedure for which a Railway beneficiary has been permitted by the competent authority or for treatment under emergency from the time of admission to the time of discharge including (but not limited to) – (i) Registration charges, (ii) Admission charges, (iii) Accommodation charges including patients diet, (iv) Operation charges, (v) Injection charges, (vi) Dressing charges, (vii) Doctor/ consultant visit charges, (viii) ICU / ICCU charges, (ix) Monitoring charges, (x) Transfusion charges and Blood processing charges (xi) Pre Anesthetic checkup and Anesthesia charges, (xii) Operation theatre charges, (xiii) Procedural charges / surgeon's fee, (xiv) Cost of surgical disposables and all sundries used during hospitalization, (xv) Cost of medicines and consumables (xvi) Related routine and essential investigations (xvii) Physiotherapy charges etc. (xviii) Nursing care charges etc.

Package rates also include two pre operative and two post operative consultations.

Cost of implants/ stents/ grafts is reimbursable in addition to Package Rates as per CGHS ceiling rates or as per actual, whichever is lower.

In case a beneficiary demands a specific Brand of Stent/ Implant and give his consent in writing, the difference in cost over and above the ceiling rate may be charged from the beneficiary, which is non-reimbursable / not payable by Railway.

During In-patient treatment of the Railway beneficiary, the hospital will not ask the beneficiary or his/ her attendant to purchase separately the medicines/ sundries/ equipment or accessories from outside and will provide the treatment within the package rate, fixed by the CGHS which includes the cost of all the

items. However, the following items are not admissible for reimbursement/ payment:

- Toiletries
- Sanitary napkins
- Talcum powder
- Mouth fresheners
- Diet charges for patient attendant/s
- Telephone bills
- Any other item as decided by Railway

In cases of conservative treatment / where there is no CGHS package rate, calculation of admissible amount would be done item wise as per CGHS rates of nearest city or as per hospital rates, whichever is less and if no CGHS rates then hospital rates (with discount as fixed).

Package rates envisage up to a maximum duration of indoor treatment as follows:

- Upto 12 days for Specialized (Super Specialties) treatment
- Upto 7 days for other Major Surgeries
- Upto 3 days for Laparoscopic surgeries / Elective Angioplasty / Normal Delivery
- 1 day for day care / Minor (OPD) surgeries.

However, if the beneficiary has to stay in the hospital for his / her recovery for a period more than the period covered in package rate, in exceptional cases, supported by relevant medical records and certified as such by hospital, the additional bill amount may be allowed to the hospital, which shall be limited to accommodation charges as per entitlement ,investigations charges at approved rates, doctors visit charges (not more than 2 visits per day per visit by specialists / consultants) and cost of medicines for additional stay).

No additional charge on account of extended period of stay shall be allowed if that extension is due to infection on the consequences of surgical procedure/ faulty investigation procedure etc.

The empanelled hospital cannot charge more than CGHS approved rates when a patient is admitted with valid Railway Medical Card with prior permission or under emergency. In case of any instance of overcharging the overcharged amount over and above CGHS rate (except inadmissible items and difference paid due to implant/ stent of a specific brand chosen by the Railway beneficiary) shall be paid to the beneficiary and shall be recovered from the pending bills of the hospital.

If any empanelled hospital charges from Railway beneficiaries for any expenses incurred over and above the package rates vis-à-vis medicine, consumables, sundry equipment and accessories etc. which are purchased from external sources, based on the specific authorization of treating doctor/ staff of the concerned hospital and if they are not falling under the list of non-admissible items, reimbursement shall be made to the beneficiary and the amount shall be recovered from the pending bills of hospitals.
Annexures- The applicable city specific CGHS rates are attached as Annexure. They shall be deemed to be an integral part of this Agreement. The terms and conditions stipulated in the tender document/ EOI shall be read as part of this agreement.

2. DURATION OF AGREEMENT

The Agreement shall remain in force for a period of 2 years or till it is modified or revoked, whichever is earlier. The Agreement may be extended for another year subject to fulfillment of all the terms and conditions of this Agreement and with mutual consent of both parties.

***Note**: In case the hospital is derecognized by CGHS or the recognition is not extended for any reason then, unless and until specifically allowed by Railway, the Railway empanelment under this agreement shall also be withdrawn.*

3. CONDITIONS FOR PROVIDING TREATMENT/ SERVICES

A. GENERAL CONDITIONS

The hospitals shall be **empanelled for identified specialties which are not available or not possible to be dealt in Railway Hospitals.**

The Hospitals shall investigate/ treat the Railway beneficiaries only for the condition for which the patient has been referred to them. No undue/ unnecessary investigation shall be done by the hospital.

It is agreed that Railway beneficiaries shall be attended to on priority.

Railway has the right to monitor the treatment provided in the empanelled hospitals.

B. AUTHORIZATION LETTER FOR TREATMENT

The treatment/ procedure shall be performed on the basis of the authorization letter issued by the CMS/MD/CMO/ ACMS-IN-CHARGE ..... in case of serving employees / pensioners.

C. INVESTIGATIONS PRIOR TO ADMISSION

All investigations regarding fitness for the surgery will be done prior to the admission for any elective procedure and are part of package.

D. ADDITIONAL PROCEDURES/INVESTIGATIONS

The hospital has been empanelled for treatment of the Railway beneficiaries. For any material / additional procedure / investigation other than the condition for which the authorization was initially given, would require the permission of the competent authority except under emergency.

E. PROCEDURE WHERE REFERRED CASE NEEDS TREATMENT IN A SPECIALTY (S) WHICH ARE NOT AVAILABLE IN THE HOSPITAL

The empanelled hospital shall not undertake treatment of referred cases in specialties which are not available in the hospital. But it will provide necessary treatment to stabilize the patient and transport the patient safely to the nearest Railway/Government/Empanelled Hospital under intimation to Railway Authorities. However, in such cases, the empanelled hospital will charge as per the CGHS rates only for the treatment provided.

F. CHANGES IN INFRASTRUCTURE/ STAFF TO BE NOTIFIED TO RAILWAY

The Hospital shall immediately communicate to Railway Authorities about any change in the infrastructure /Shifting of premises. The empanelment will be temporarily withheld in case of shifting of the facility to any other location without prior permission of Railway. The new establishment of the same Hospital shall attract a fresh inspection, at the prescribed fee, for consideration of continuation of empanelment.

G. ANNUAL REPORT

The Hospital will submit an annual report regarding number of admitted Railway beneficiaries, bills submitted to the Railway and payment received. Annual audit report of the hospitals will also be submitted along with the statement. The Hospital shall submit all the medical records in digital format.

H. MEETINGS

Authorized signatory / representative of the empanelled health care organizations shall attend the periodic meetings held by Railway required in connection with improvement of working conditions and for redressal of grievances.

I. INSPECTIONS

During the visit by Railway officials, the empanelled health care organization's authorities will cooperate in carrying out the inspection.

J. NO COMMERCIAL PUBLICITY

The Hospital will not make any commercial publicity projecting the name of Railway or Government of India. However, the fact of empanelment under IRMD shall be displayed at the premises of the empanelled health Care Organization indicating that the charges will be as per CGHS approved rates.

4. TREATMENT IN EMERGNCY

The following ailments may be treated as emergency which is **illustrative only and not exhaustive**, depending on the condition of the patient:

- Acute Coronary Syndromes (Coronary Artery Bye-pass Graft / Percutaneous, Transluminal Coronary Angioplasty) including Myocardial Infarction, Unstable Angina; Ventricular Arrhythmias, Paroxysmal Supra Ventricular Tachycardia, Cardiac Tmponade, Acute Left Ventricular Failure / Severe Congestive Cardiac Failure, Accelerated Hypertension, Complete Heart Block and Stoke Adam attack, Acute Aortic Dissection.
- Acute Limb Ischemia, Rupture of Aneurysm, Medical and Surgical shock and peripheral circulatory failure.
- Cerebro-Vascular attack-Stokes, Sudden unconsciousness, Head injury, Respiratory failure, decompensated lung disease, Cerebro-Meningeal
- Infections, Convulsions, Acute Paralysis, Acute Visual loss.
- Acute Abdomen pain.
- Road Traffic Accidents / with injuries including fall.
- Severe Hemorrhage due to any cause.
- Acute poisoning.

- Acute Renal Failure.
- Acute abdomen pain in female including acute Obstetrical and Gynecological emergencies.
- Electric shock. Any other life threatening condition.

In emergency the empanelled hospital will not refuse admission or demand an advane payment from the Railway beneficiary or his family member(s) and will provide credit facilities to the patient whether the patient is a serving employee or a pensioner, on production of a valid Railway Medical Card and the hospital shall submit the bill for reimbursement to the concerned Railway Authorities. The refusal to provide the treatment to bonafide Railway beneficiaries in emergency cases and other eligible categories of beneficiaries on credit basis, without valid ground, would attract disqualification for continuation of empanelment.

The nature and appropriateness of the emergency is subject to verification, which may be verified, inspected or medically audited by the nominated authority on random basis at its own direction.

The Hospital will intimate all instances of patients admitted as emergencies without prior permission to Railway Authorities within the prescribed time.

5. ENTITLEMENTS FOR VARIOUS TYPES OF WARDS

The entitlements for various types of wards to the Railway beneficiaries shall be the same as in the case of CGHS beneficiaries. Accordingly, Railway beneficiaries are entitled to facilities of private, semi-private or general ward depending on their pay drawn in pay band/ pension. These entitlements are amended from time to time and the latest order in this regard issued by M/o H&FW needs to be followed. The entitlement is as follows:-

SN.	Pay drawn in Pay Band/ Basic Pension	Entitlement
01.	Upto Rs.13,950/-	General Ward
02.	Rs.13,960/- to 19,530/-	Semi-Private Ward
03.	Rs.19,540/- and above	Private Ward

a. Private Ward is defined as a hospital room where single patient is accommodated and which has an attached toilet (lavatory and bath). The room should have furnishings like wardrobe, dressing table, bed-side table, sofa-set, carpet, etc. as well as a bed for attendant. The room has to be air-conditioned.

b. Semi-Private Ward is defined as a hospital room where two to three patients are accommodated and which has attached toilet facilities and necessary furnishings.

c. General Ward is defined as a hall that accommodates four to ten patients.

Treatment in higher category of accommodation than the entitled category is not permissible.

6. APPROVED RATES TO BE CHARGED

The empanelled hospital shall charge from the Railway beneficiary as per the rates for a particular procedure / package deal as prescribed by the CGHS and attached as Annexure (rate list)* which shall be an integral part of this Agreement. The rates notified by CGHS shall also be available on web site of Ministry of Health & Family Welfare at

http://msotransparent.nic.in/cghsnew/index.asp or as per agreed rates with Railways whichever is lower.

The package rate will be calculated as specified in the tender document/ EOI. No additional charge on account of extended period of stay shall be allowed if, that extension is due to infection as a consequence of surgical procedure or due to any improper procedure and is not justified.

The procedure and package rates for any diagnostic investigation, surgical procedure and other medical treatment for Railway beneficiary under this Agreement shall be as per the latest CGHS rate of _____ (name of the city) list during the validity period of this Agreement. The empanelled health care organization agrees that during the in-patient treatment of the Railway beneficiary, the Hospital will not ask the beneficiary or his attendant to purchase separately the medicines / sundries / equipment or accessories from outside and will provide the treatment within the package deal rate, fixed by the CGHS which includes the cost of all the items. Appropriate action, including removal from RAILWAY empanelment and / or termination of this Agreement, may be initiated on the basis of a complaint, medical audit or inspections carried out by Railway team. The hospital shall agree to charge CGHS rates to Railway beneficiaries on production of valid I-Card / Documentary proof, even though treatment is not sought as referred Railway beneficiary but they are **attending in emergency**.

7. MODE OF PAYMENT FOR TREATMENT OF BENEFICIARIES

In respect of the referred Railway beneficiaries, services shall be undertaken/ provided on credit: No payment shall be sought from them and the bills should be submitted to the Office of the CMS/MD/CMO/ ACMS-IN-CHARGE of the concerned Division/Zonal Railway.

8. MEDICAL AUDIT OF BILLS

There shall be a continuous Medical Audit of the services provided by the empanelled Private Hospital.

9. DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF EMPANELLED HEALTH CARE ORGANIZATIONS

It shall be the duty and responsibility of the empanelled Hospital at all times, to obtain, maintain and sustain the valid registration, recognition and high quality and standard of its services and healthcare and to have all statutory / mandatory licenses, permits or approvals of the concerned authorities under or as per the existing laws".

10. NON ASSIGNMENT

The empanelled Hospital shall not assign, in whole or in part, its obligations to perform under the agreement, except with the Railway's prior written consent at its sole discretions and on such terms and conditions as deemed fit by the Railway. Any such assignment shall not relieve the Hospital from any liability or obligation under this agreement.

11. EMPANELLED HEALTH CARE ORGANIZATION'S INTEGRITY AND OBLIGAITONS DURING AGREEMENT PERIOD

The empanelled Hospital is responsible for and obliged to conduct all contracted activities in accordance with the Agreement using state-of-the-art methods and

economic principles and exercising all means available to achieve the performance specified in the Agreement. The Hospital is obliged to act within its own authority and abide by the directives issued by the Railway. The Hospital is responsible for managing the activities of its personnel and will hold itself responsible for their misdemeanors, negligence, misconduct or deficiency in services, if any.

12. PERFORMANCE BANK GUARANTEE (PBG)

Health Care Organizations that are recommended for empanelment after the initial assessment shall also have to furnish a performance Bank Guarantee valid for a period of 30 months i.e. six months beyond empanelment period to ensure efficient service and to safeguard against any default:

Hospitals/Cancer Units Rs.10.00 lac

In case of CGHS empanelled private hospitals already empanelled by Railways, they shall submit a new Performance Bank Guarantee after the validity of the existing performance guarantee is over.

13. FORFEITURE OF PERFORMANCE BANK GUARANTEE AND REMOVAL FROM LIST OF EMPANELLED ORGANIZATIONS

In case of any violation of the provisions of the MOU by the health care organizations empanelled under Railways such as:

1. Refusal of service,
2. Undertaking unnecessary procedure,
3. Prescribing unnecessary drugs/ test
4. Over billing,
5. Reduction in staff/ infrastructure/ equipment etc. after the hospital/ has been empanelled.
6. Non submission of the report, habitual late submission or submission incorrect data in the report
7. Refusal of credit to eligible beneficiaries and direct charging form them.
8. If not recommended by NABH/NABL/QCI at any stage.
9. Discrimination against Railway beneficiaries vis-à-vis general patients

The amount of Performance Bank Guarantee will be forfeited and the Railway shall have the right to de-recognize the health Care Organization as the case may be. Such action could be initiated on the basis of a complaint, medical audit or inspections carried out by Railway teams at random. The decision of the Railway will be final.

14. LIQUIDATED DAMAGES

a. The empanelled Hospital shall provide the services as per the requirements specified by the Railway in terms of the provisions of this Agreement. In case of initial violation of the provisions of the Agreement by the Hospital such as refusal of service or direct charging from the Railway beneficiaries or defective service and negligence, the amount equivalent to 5% of the amount of Performance Bank Guarantee will be charged as agreed Liquidated Damages by the Railway. However, the total amount of the Performance Bank Guarantee will be maintained intact being a revolving Guarantee.

b. In case of repeated defaults by the empanelled Hospital, the amount of Performance Bank Guarantee will be forfeited and action will be taken a for removing the Health Care Organization form the empanelment of Railway as well as termination of this Agreement.

c. For over-billing and unnecessary procedures, the extra amount so charged will be deducted from the pending/ future bills of the empanelled Hospital and the Railway shall have the right to issue a written Warning to the health Care Organization not to do so in future. The Recurrence, if any, will lead to the stoppage of referral to that particular Health Care Organization or De-recognition from Railways.

15. TERMINATION FOR DEFAULT

The Railway may, without prejudice to any other remedy for breach of Agreement, by written notice of default sent to the Hospital terminate the Agreement in whole or part:

If the empanelled Hospital fails to provide any or all of the services for which it has been empanelled within the period(s) specified in the Agreement or within any extension thereof if granted by the Railway pursuant to Condition of Agreement or if the Health Care Organization fails to perform any other obligation(s) under the Agreement.

If the Hospital in the judgment of the Railway has engaged in corrupt or fraudulent practices in competing for or in executing the Agreement.

In case of any wrong doings as specified in Memorandum of Agreement by one hospital Railway reserves the right to remove all empanelled hospitals of that particular group from its empanelled list of hospitals.

16. INDEMNITY

The empanelled Hospital shall at all times, indemnify and keep indemnified Railway / the Government against all actions, suits, claims and demands brought or made against it in respect of anything done or purported to be done by the Health Care Organization in execution of or in connection with the services under this Agreement and against any loss or damage to Railway / the Government in consequence to any action or suit being brought against the Railway / the Government, along with (or otherwise), Health Care Organization as a Party for anything done or purported to be done in the course of the execution of this Agreement. The Health Care Organization will at all times abide by the job safety measures and other statutory requirements prevalent in India and will keep free and indemnify the Railway from all demands or responsibilities arising from accidents or loss of life, the cause or result of which is the Hospital negligence or misconduct.

The Health care Organization will pay all indemnities arising from such incidents without any extra cost to Railway and will not hold the Railway responsible or obligated. Railway/ the Government may at its discretion and shall always be entirely at the cost of the Health Care Organization defend such suit, either jointly with the Health Care Organization enter or singly in case the latter chooses not to defend the case.

17. ARBITRATION

If any dispute or difference of any kind whatsoever (the decision whereof is not herein otherwise provided for) shall arise between the Railway and the Hospital, upon or in relation to or in connection with or arising out of the Agreement, shall be referred to for arbitration by the CMD of the zone (In case of PU, neighboring zone) who will give

written award of his decision to the Parties. The decision of the CMD will be final and binding. The provisions of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 shall apply to the arbitration proceedings. The venue of the arbitration proceedings shall be at the city of CMD office.

18. MISCELLANEOUS

Nothing under this Agreement shall be construed as establishing or creating between the Parties any relationship of Master and Servant or Principal and Agent between Railway and the Health Care Organization. The Health care Organization shall work or perform their duties under this Agreement or otherwise.

The Health care Organization agrees that any liability arising due to any default or negligence in not represent or hold itself out as agent of the Railway.

The Railway will not be responsible in any way for any negligence or misconduct of the Health Care Organization and its employees for any accident, injury or damage sustained or suffered by any Railway beneficiary or any third party resulting from or by any operation conducted by and on behalf of the Hospital or in the course of doing its performance of the medical services shall be borne exclusively by the hospital who shall alone be responsible for the defect and / or deficiencies in rendering such services.

The Hospital shall notify the Government of any material change in their status and their shareholdings or that of any Guarantor of the in particular where such change would have an impact on the performance of obligation under this Agreement.

This Agreement can be modified or altered only on written agreement signed by both the parties.

Should the Hospital get wound up or partnership is dissolved, the RAILWAY shall have the right to terminate the Agreement. The termination of Agreement shall not relieve the hospital or their heirs and legal representatives from the liability in respect of the services provided by the Health care Organization during the period when the Agreement was in force.

The Hospital shall bear all expenses incidental to the preparation and stamping of this agreement.

19. OTHER SERVICES TO BE PROVIDED

The empanelled hospital will, on the request of RAILWAY, agree to provide training to RAILWAY medical, Para-medical and nursing staff.

20. EXIT FROM THE PANEL

The Rates fixed by the CGHS for _____ (name of the city) shall continue to hold good unless revised by CGHS. In case the notified rates are not acceptable to the empanelled health care Organizations, or for any other reason, the health care Organization no longer wishes to continue on the list under Railway, it can apply for exclusion from the panel by giving one month notice. Patients already admitted shall continue to be treated as per agreed rates between the two parties.

21. NOTICES

21.1 Any notice given by one party to the other pursuant to this Agreement shall be sent to other party in writing by registered post or by facsimile and confirmed by original copy by post to the other Party's address as below.

Railway: CMS/MD/CMO/ACMS-IN-CHARGE .....

Hospital with address:

(.....)

21.2 A notice shall be effective when served or on the notice's effective date, whichever is later Registered communication shall be deemed to have been served even if it returned with remarks like refused, left, premises locked, etc.

IN WITNESSES WHEREOF, the parties have caused this Agreement to be signed and executed on the day, month and the year first above mentioned.

Signed by

CMS//MD/CMO/ ACMS-IN-CHARGE
..... Railway Hospital
.....
For and on behalf of
The President of India

In the Presence of
(Witnesses)

1.
2.

Signed by

For and on behalf of (Hospital)
Duly authorized vide Resolution No. ..... dated .....
of (name of Hospital)

In the presence of
(Witnesses)

1.
2.

No. 2014/H-1/19/3/PNM **New Delhi, Dated: 7/10/15**

Copy to:

1. The Chief Personel Officers/ All Indian Railways/ All Production Units.
2. Computer facilitaton Centre, Room No. 5, Near Gate No.1 Rail Bhawan.
3. Directors of CTIs, IRICEN/Pune, IRIEEN/Nasik, IRISET, secunderabd, IRIMEE/Jamalput and IREITEM/Lucknow.
4. The General Manager CORE, Allahabad.
5. The Director General, Railway Staff College, Lal Bagh, Vadodara.
6. The Managing Director,, RITES, New Delhi House, 27, Barakhamba Road, New Delhi and (b) IRCON Palika Bhawan, Sector XIII, R. K. Puram, New Delhi, (c) CRIS, Safdarjung Railway Station, Chankyapuri, New Delhi. (d) IRFC, NBCC place Bhishma Pitamah Marg, Pragti Vihar, Lodhi Colony, New elhi. (e) CONCOR of India, Ltd., Konkan Railway Corpn. Ltd. Belapur Bhawan Sector-11, CBD Belapur, Bhikaji Cama Place, New Delhi-11—66.
7. The General Secretary, IRCA/New Delhi.
8. The Secretary, Railway Board, Promotee Officers Association, Room No. 341-C, Rail Bhawan, New Delhi
9. The Chairman, RRT, Chennai.
10. The Chairman, Passenger Amenities Committee.
11. The CAO (G) COFMOW, Tilak Bridge, New Delhi.
12. The Director, CAMTEH/Gwalior.
13. The CAO (a) MTP (G)/Mumbai (b) MTP (G) Chennai.
14. Office of the Chief Project Administrator (Telecom), Indian Railways Central Organisation for Telecom Consultancy, Shivaji Bridge, New Delhi.
15. The Chief Mining Advisor, Ministry of Railway, Dhanbad.
16. The CAO (Const.), Central Railway, Mumbai.
17. The Director (Movement) Railways. Kolkata.

(Mrs. H. K. Sanhotra)
DD/H&FW
Railway Board.

No. 2014/H-1/19/3/PNM **New Delhi, dated:7/10.15**

Copy to:

1. The General Secretary, AIRF, Room No. 253, Rail Bhawan, New Delhi. (35 copies)
2. The General Secretary, NFIR, Room No. 256-E, Rail Bhawan, New Delhi, (35 copies)
3. All Members of Departmental Council and national Council and Sceretary, Staff Side, National Council, 13-c, Feorzeshah Road, New Delhi. (60 copies)
4. The Secretary General, FROA & IRPOA, Room No. 256-A & 268, Railway Board.
5. The General Secretary, All India RPF Association, Room No. 256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
6. The Secretary, RBSS Group 'A' Officers Association, Rail Bhawan, New Delhi.
7. The Secretary, RBSS Group 'B' Officers Association, Rail Bhawan, New Delhi.
8. The Secretary, RBMSA, Rail Bhawan, New Delhi.
9. The Secretary, Railway Board Group 'D' Employees Association, Rail Bhawan, New Delhi.
10. The ecretary, Railway Board Promotee Officerss Association, Room No. 341-C, Rail Bhawan, New Delhi.General Secretary, Re
11. Chief Commissioner of Railway Safety, Lucknow.
12. Advisor (Safety), Railway Board, New Delhi.
13. The General Secretary, Il India SC?ST Railway Employees Association, Room No.8, Ground Floor, Rail Bhawan, New Delhi.
14. .General Secretary, Retired Railway Employees Welfare Association (Regd.), 490A/16, Gurudwara Road, Gurgaon.

For Secretary, Railway Board.

Copy to:
PS to MR, MSR (V), & MSR(N), Sr. PPS to CRB, MS, ME, MT, MM, ALL Additional Members DG/RHS, DG/RHS, DG/RPF, Secretary

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

सं. 2014/एच-I/19/3/पीएनएम

नई दिल्ली, दिनांक 05.10.2015

महाप्रबंधक
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां

विषयः- महाप्रबंधकों को क्षेत्रीय रेलों पर सीजीएचएस के पैनलबद्ध अस्पतालों को मान्यता प्रदान करने के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन करना।

*****

क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों के महाप्रबंधकों को क्षेत्रीय रेलों पर ही सीजीएचएस के पैनलबद्ध अस्पतालों को मान्यता प्रदान करने के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन करने के मुद्दे पर बोर्ड द्वारा विचार किया गया है। अब से महाप्रबंधकों को नीचे दिए गए पैरामीटरों का पालन कर रेलवे लाभार्थियों को रेफर करने के लिए सीजीएचएस पैनलबद्ध अस्पतालों को मान्यता प्रदान करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की जाएंगीः-

(1) क्षेत्रीय रेलों को उन स्पेशलिटिज की पहचान करनी चाहिए जिनके लिए रेलवे के लाभार्थियों के लिए सीजीएचएस के पैनलबद्ध प्राइवेट अस्पतालों से उपचार प्राप्त करना अपेक्षित हो। मल्टी स्पेशलिटी उपचार के लिए सीजीएचएस अस्पतालों को मान्यता दिए जाने के बावजूद भी रेफरेन्स केवल उन्हीं चिह्नित स्पेशलिटिज के बारे में किया जाना चाहिए जो रेलवे अस्पतालों में उपलब्ध न हो अथवा जिनका वहां इलाज करना संभव न हो।

(2) मान्यताप्राप्त अस्पतालों की सूची वेबसाइट/नोटिस बोर्ड आदि में प्रमुखता से प्रदर्शित की जानी चाहिए जिनमें अस्पतालों में उपलब्ध स्पेशलिटिज का उल्लेख किया जाना चाहिए ताकि रेलवे के लाभार्थियों को रेफरल के ऐसे अस्पतालों के उपलब्ध होने की पूरी जानकारी हो। रेलवे के लाभार्थियों को उनकी प्राथमिकता/उनके द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार सीजीएचएस के पैनलबद्ध अस्पताल को रेफर किया जाना चाहिए क्योंकि सभी सीजीएचएस के पैनलबद्ध अस्पतालों की दरें समान हैं।

(3) संबंधित क्षेत्रीय रेलवे/यूनिट में स्थित/उपलब्ध सभी सीजीएचएस के पैनलबद्ध प्राइवेट अस्पतालों से अभिरूचि की अभिव्यक्ति प्राप्त करने के लिए समाचारपत्रों और रेलवे की वेबसाइट में विज्ञापन प्रकाशित किए जाए।

(4) सीजीएचएस के पैनलबद्ध सभी अस्पतालों द्वारा प्रभारित की जाने वाली दरें, अस्पतालों के वर्गीकरण अथवा अस्पताल के टैरिफ, जो भी कम हो, के आधार पर सीजीएचएस निर्धारित दरों के अनुसार होनी चाहिए और उन मदों/प्रक्रियाओं/जांचों, जो सीजीएचएस दर सूची के अंतर्गत नहीं आते है, के मामले में अस्पतालों को अपने अस्पताल की दरों पर कुछ रियायत और साथ ही रेलों को निःशुल्क एम्बूलेंस सेवा भी देनी चाहिए।

(5) अस्पतालों को सीजीएचएस की भाँति दो वर्ष की अवधि के लिए अथवा सीजीएचएस के अन्तर्गत पैनलबद्ध होने तक के लिए, जो भी पहले हो, मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। जब सीजीएचएस द्वारा किसी अस्पताल को पैनल से हटा दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में इसका पालन इस मामले में भी किया जाएगा।

(6) रेलवे और सीजीएचएस के पैनलबद्ध प्राइवेट अस्पतालों के बीच समझौता ज्ञापन/करार पर हस्ताक्षर करते समय सीजीएचएस द्वारा तैयार किए गए फॉर्मेट का पालन किया जाना चाहिए क्योंकि यह व्यापक है और यह लगभग सभी पहलुओं को कवर करता है, परन्तु इसमें रेलवे की जरूरतों के अनुसार संशोधन किया जाना चाहिए (अनुलग्नक के अनुसार)।

(7) यह नोट किया जाए कि कोई प्राइवेट अस्पताल, जो सीजीएचएस द्वारा पैनलबद्ध न किया गया हो, के मामले में ऐसे अस्पतालों को मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव पहले की भाँति बोर्ड कार्यालय को भेजा जाना चाहिए। यदि कोई सीजीएचएस पैनलबद्ध अस्पताल, सीजीएचएस की निर्धारित दरों से ज्यादा दरों को प्रभारित करने का प्रस्ताव करता है तो यह भी समुचित औचित्य के साथ रेलवे बोर्ड को भेजा जाना चाहिए ताकि उसकी जांच की जा सके/उसे अनुमोदित किया जा सके। बहरहाल, स्वयं सीजीएचएस द्वारा दरों में किए गए संशोधन (बढ़ाना या घटाना) के मामलों को बोर्ड कार्यालय को भेजने की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में बोर्ड के दिनांक 09.03.2015 के पत्र सं. 2014/एच-I/II/98/एआईआर के माध्यम से महाप्रबंधकों को पहले ही शक्तियाँ प्रत्यायोजित कर दी गई हैं।

(8) इसके अलावा, कम से कम 10% रेफर किए गए मामलों का मेडिकल ऑडिट किया जाना चाहिए। यह मुख्य मेडिकल निदेशक द्वारा समुचित रूप से गठित मेडीकल बोर्ड द्वारा किया जाना चाहिए। यह रिपोर्ट वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी के माध्यम से वार्षिक/छमाही आधार पर महाप्रबंधक को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

(9) अस्पताल को मान्यता प्रदान करने की इन शक्तियों का प्रयोग वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी की सहमति से महाप्रबंधक द्वारा व्यक्तिगत तौर पर किया जाना चाहिए।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

हरविन्दर सनहोत्रा

(श्रीमती एच.के.सनहोत्रा)
उपनिदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
रेलवे बोर्ड

सं. 2014/एच-I/19/3/पीएनएम — नई दिल्ली, दिनांक 05.10.2015

प्रतिलिपि प्रेषितः-

1. मुख्य चिकित्सा निदेशक, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।
2. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।

हरविन्दर सनहोत्रा

(श्रीमती एच.के.सनहोत्रा)
उपनिदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
रेलवे बोर्ड

सं. 2014/एच-I/19/3/पीएनएम — नई दिल्ली, दिनांक 05.10.2015

प्रतिलिपि प्रेषितः-

1. प्रधान लेखा निदेशक, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।
2. भारत के उप-नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (रेलें), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली।

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

प्रतिलिपि वित्त (स्था.) विशेष शाखा और स्वास्थ्य शाखा, रेलवे बोर्ड को प्रेषित।

सीएमएस/एमडी/सीएमओ/एसीएमएस-इन-चार्ज.....

और

.....अस्पताल का नाम

के बीच

करार

यह करार पहले पक्षकार सीएमएस/एमडी/सीएमओ/एसीएमएस-इन-चार्ज.....भारत सरकार जिसका कार्यालय.....में है, (जिसे इसमें आगे रेलवे कहा गया है और इसके अंतर्गत उनके उत्तरवर्ती और समनुदेशित भी है जब तक कि संदर्भ अथवा अर्थ से ऐसा उसके विरुद्ध नहीं है) के माध्यम से कार्यरत भारत के राष्ट्रपति

और

दूसरे पक्षकार.....(अस्पताल का नाम और पता) के बीच 20 की.....तारीख को किया गया.

जैसा कि,.....(क्षेत्रीय रेल/मंडल का नाम पते के साथ) समय-समय पर यथा निर्धारित कर्मचारियों/पेंशनरों और लाभार्थियों के इस प्रकार की अन्य कोटियों को व्यापक चिकित्सा सेवा संबंधी सुविधाएं मुहैया करा रही है.

और जैसा कि .....(क्षेत्रीय रेल/मंडल का नाम).....(शहर का नाम) में निजी पैनलबद्ध अस्पतालों में रेल लाभार्थियों को उपचार सुविधाएं और डॉयगनोस्टिक सुविधाएं मुहैया कराने का प्रस्ताव करता है

और जैसा कि (निजी अस्पताल का नाम) रेल लाभार्थियों को निम्नलिखित उपचार/डॉयगनोस्टिक सुविधाएं के.स.स्वा.यो..... (शहर का नाम) द्वारा प्रस्तावित की गई दरों पर या अस्पताल का दर जो भी कम हो और उस दर के लिए जो के.स.स्वा.यो. के तहत कवर नहीं है तब संबंधित छूट के साथ अस्पताल दर देने पर सहमत है.

.....

.....

.....

अतः अब एतदद्वारा पार्टियों के बीच निम्नानुसार सहमति दी जाती है.

1. परिभाषा और व्याख्या

1.1 इस करार के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित निबंधनों और अभिव्यक्तियों के निम्नलिखित अर्थ होंगे:

1.1.1 "करार" का अर्थ होगा यह करार और सभी अनुसूचियाँ, पूरक, परिशिष्टियाँ, अनुबंध और इस करार की शर्तों के अनुसार उसमें किया गया आशोधन

1.1.2 "लाभ" का अर्थ होगा विषयगत नियमों के अनुसार लाभार्थी जिस सीमा तक सेवा प्राप्त करने के हकदार है.

1.1.3 "रेलवे चिकित्सा कार्ड" का अर्थ होगा रेल प्राधिकारियों द्वारा जारी किया गया आरएमए कार्ड.

1.1.4 "आरएमए कार्ड धारक" का अर्थ होगा ऐसा व्यक्ति जिसके पास रेलवे चिकित्सा कार्ड है.

1.1.5 "रेलवे लाभार्थी" का अर्थ एक व्यक्ति जो रेलवे द्वारा प्रदान की जाने वाली चिकित्सा सेवाओं की कवरेज के लिए पात्र है।

1.1.6 "कवरेज" का अर्थ नियमों, शर्तों और सीमाओं के अधीन व्यक्तियों का वह प्रकार जो रेलवे स्वास्थ्य सेवाओं के लाभार्थियों के रूप में पात्र हो।

1.1.7 "आपातकाल" का अर्थ किसी भी कारण से उत्पन्न किरी गी हालत या लक्षण की स्थिति, जो अचानक उत्पन्न हुई हो और यदि जिसका जल्दी सुविधानुसार इलाज नहीं हुआ तो, रोगी के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक या रोगी के जीवन को ख़तरा हो.

1.1.8 "पैनलबद्ध" का अर्थ अस्पताल, एक विशेष अवधि के लिए उपचार / जांच प्रयोजनों के लिए रेलवे द्वारा अधिकृत होगा।

1.1.9 "अस्पताल" का अर्थ इस करार के तहत कार्य करते हुए ..... (निजी अस्पताल का नाम) मनुष्य की चिकित्सा जांच , उपचार और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराएगा।

1.1.10 "अस्पताल की मान्यता समाप्त" का अर्थ जांच के कुछ प्रक्रिया का पालन करने के बाद वह रेलवे लाभार्थियों के लिए चिकित्सा उपचार प्रदान करने या स्वास्थ्य देखभाल की अच्छी उद्योग प्रथाओं का पालन न करने, अनैतिक तरीकों या धोखाधड़ी को अपनाने की स्थिति में अस्पताल को पैनल से बाहर करना.

1.1.11 "पार्टी" का अर्थ या तो रेलवे या अस्पताल, और " पार्टियों " का अर्थ दोनों रेलवे और अस्पताल होगा।

1.1.12 "सीजीएचएस पैकेज दरों" का अर्थ सभी समावेशी होगा- रेलवे लाभार्थी को अस्पताल में भर्ती के समय से छुट्टी के समय तक (समय सीमा सीमित नहीं है) आपात स्थिति के तहत उपचार के लिए अनुमति दी है या सक्षम प्राधिकारी द्वारा भर्ती मरीज के उपचार / डे-केयर / नैदानिक प्रक्रिया के लिए अनुमति दी है के लिए एकमुश्त लागत सहित -(1) पंजीकरण प्रभार, (2) भर्ती प्रभार, (3) रोगियों को आहार सहित आवास प्रभार, (4) शल्य प्रभार, (5) इंजेक्शन प्रभार, (6) मरहम पट्टी प्रभार, (7) डाक्टर/परामर्शदाता के आने की फीस, (8) आईसीयू / आईसीसीयू प्रभार, (9) देखभाल प्रभार, (10) ट्रांसफ्यूजन एवं रक्त प्रसंस्करण प्रभार, (11) प्री-एनेस्थिसिया जांच और एनेस्थिसिया प्रभार, (12) ऑपरेशन कक्ष प्रभार, (13) प्रक्रियात्मक प्रभार / शल्य चिकित्सक की फीस, (14) शल्य डिस्पोज़बल और अस्पताल में भर्ती होने के दौरान हर तरह की वस्तुओं की लागत, (15) दवाइयों एवं उपभोगीय वस्तुओं का प्रभार (16) संबंधित रूटीन एवं आवश्यक जांचें, (17) फिजियोथैरिपी प्रभार आदि (18) नर्सिंग देखभाल प्रभार इत्यादि

पैकेज दरों में डाक्टर से दो ऑपरेशन से पूर्व और दो ऑपरेशन के बाद विचार-विमर्श भी शामिल हैं.

प्रत्यारोपण/स्टेंट/ग्राफ्ट की लागत के लिए पैकेज दरों के अलावा सीजीएचएस सीलिंग दरों के अनुसार या वास्तविक अनुसार, जो भी कम हो, प्रतिपूर्ति की जाएगी.

यदि एक लाभार्थी स्टेंट/प्रत्यारोपण की एक विशेष ब्रांड की मांग करता है और लिखित में अपनी सहमति देता है तो सीलिंग दर से ऊपर और अधिक अंतर की वसूली लाभार्थी से की जाएगी, जिसकी प्रतिपूर्ति/रेलवे द्वारा देय नहीं होगी।

रेलवे लाभार्थी के अस्पताल में भर्ती होने पर उपचार के दौरान, अस्पताल रोगी अथवा उसके परिचारक को बाहर से, अलग से दवाई / किसी भी वस्तु/ उपकरण या अन्य सामान को खरीद कर लाने को नहीं कहेगा तथा पैकेज दर के अन्दर ही उपचार मुहैया कराएगा, जो सीजीएचएस द्वारा सुनिश्चित कर दिये गए हैं जिसमें सभी मदों की लागत शामिल है.

बहरहाल, निम्निलिखित मदें प्रतिपूर्ति/भुगतान के लिए स्वीकार्य नहीं हैः

- टॉयलेटरीज़
- सैनेटरी नैपकिन्स

- टैल्कम पाउडर
- माउथ फ्रेशनर
- रोगी के परिचारक/परिचारकों के लिए आहार प्रभार
- टेलीफोन बिल
- रेलवे द्वारा निर्णय ली गई कोई और मद

परंपरागत उपचार के मामलों में / जहां कोई सीजीएचएस पैकेज दर नहीं है, स्वीकार्य राशि की गणना, मद के अनुसार निकटतम शहर की सीजीएचएस दरों के अनुसार या अस्पताल दरों पर जो भी कम हो के अनुसार और यदि सीजीएचएस दर उपलब्ध नहीं है तो अस्पताल दरों के अनुसार (यथा निर्धारित छूट के साथ) की जाएगी।

पैकेज दरें, जिसमें इनडोर उपचार की अधिकतम अवधि वर्णित है, निम्नानुसार है:

- विशेष (सुपर विशिष्टताओं) के लिए 12 दिन तक उपचार
- अन्य प्रमुख सर्जरी के लिए 7 दिन तक
- लेप्रोस्कोपिक सर्जरी / वैकल्पिक एंजियोप्लास्टी / सामान्य प्रसव के लिए 3 दिन तक
- दिन भर के लिए देखभाल / (ओपीडी) में लघु सर्जरी के लिए एक दिन.

हालांकि, यदि लाभार्थी को, उसके स्वास्थ्य लाभ के लिए पैकेज दर में कवर अवधि से अधिक अवधि के लिए अस्पताल में रहना हो, तो इस तरह के विशेष मामलों में उचित मेडिकल रिकॉर्ड तथा अस्पताल से सत्यापन करा कर, अतिरिक्त बिल राशि के लिए अस्पताल को अनुमति दी जा सकती है, जिसमें पात्रता के अनुसार आवास प्रभार, अनुमोदित दरों पर जांच प्रभार, डाक्टरों का देखने आने के प्रभारों (विशेषज्ञों / परामर्शदाता द्वारा देखने आने के लिए प्रति दिन 2 बार से अधिक नहीं) अतिरिक्त रूकने पर दवाओं की लागत के प्रभारों को सीमित किया जाएगा।

यदि शल्य प्रक्रिया / गलत जांच प्रक्रिया के कारण संक्रमण हुआ तो इस बात की अनुमति होगी कि रूकने की विस्तारित अवधि पर कोई अतिरिक्त प्रभार नही लगेगा।

जब कोई एक मरीज पूर्व अनुमति के साथ या आपात स्थिति के तहत मान्य रेलवे मेडिकल कार्ड के साथ पैनलबद्ध अस्पताल में भर्ती होता है तो वह अस्पताल सीजीएचएस दरों से अधिक प्रभार वसूल नहीं कर सकता है। अधिक शुल्क वसूली के किसी भी मामले में, सीजीएचएस की दर की तुलना में बढ़ाकर ली गई राशि (अस्वीकार्य वस्तुओं और रेलवे लाभार्थी द्वारा चुने एक विशिष्ट ब्रांड के प्रत्यारोपण / स्टेंट लगाने के संबंध मे भुगतान की गई राशि के अंतर को छोड़कर) लाभार्थी के पक्ष मे भुगतान की जाएगी और इस राशि की पूर्ति अस्पताल के लंबित बिलों से की जाएगी।

d/d.meena off./health/cghs

यदि कोई भी पैनल में शामिल अस्पताल रेलवे लाभार्थियों से दवाईयों, उपभोगिय वस्तुओ, विविध उपकरणों तथा सामान इत्यादि की पैकेज दरों की तुलना में किसी भी खर्च के लिए जो बाहरी स्रोतों से खरीदी गई हो,

संबंधित अस्पताल के डॉक्टर/कर्मचारियों के विशिष्ट प्राधिकार के आधार पर तथा यदि वह गैर स्वीकार्य मदों की सूची के अंतर्गत नही आती हो और अस्पताल पैकेज दर से बढ़ाकर वसूल करता है तो रेलवे लाभार्थी के पक्ष मे उसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी और इस राशि की पूर्ति अस्पताल के लंबित बिलों से की जाएगी।

अनुलग्नक – अलग अलग शहरों मे लागू सीजीएचएस दरें अनुलग्नक के रूप संलग्न है। उनको इस करार का एक अभिन्न हिस्सा माना जाएगा। निविदा दस्तावेज में निर्धारित नियम और शर्तों / ईओआई को इस करार के हिस्से के रूप में पढ़ा जाएगा।

2. करार की अवधि

करार दो वर्ष की अवधि के लिए अथवा जब तक इसे संशोधित या निरस्त किया जाए, इनमें से जो भी पहले हो तक लागू रहेगा। इस करार के सभी नियम एवं शर्तों को पूरा करने पर तथा दोनों पक्षों की आपसी स्वीकृति से इस करार की अवधि को आगे एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।

नोटः *यदि सीजीएचएस द्वारा अस्पताल को पैनल से हटा दिया जाता है या किसी कारणवश उसकी पैनल की मान्यता को बढ़ाया न जाए, जब तक की रेलवे द्वारा विशिष्ट रूप से अनुमति न दी जाए, तो इस करार के तहत रेलवे की उस अस्पताल के साथ पैनलबद्धता भी समाप्त कर दी जाएगी।*

3. उपचार/सेवाएं मुहैया कराने के लिए शर्तें

क. सामान्य शर्तें

अस्पतालों को उन निर्धारित विशेषताओं के लिए पैनलबद्ध किया जाएगा, जो कि रेलवे अस्पतालों में उपलब्ध नहीं हैं या जिनसे निपटा जाना संभव नहीं हैं।

अस्पताल रेलवे लाभार्थीयों को केवल उसी स्थिति के लिए जांच सुविधा / उपचार देगें जिसके लिए उन्हें रेलवे अस्पताल से भेजा गया है। कोई अनुचित /अनावश्यक जांच अस्पताल द्वारा नहीं की जाएगी।

रेलवे लाभार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर देखा जाएगा, इस बात पर सहमति व्यक्त की गई है ।

रेलवे को यह अधिकार होगा कि वह रेलवे के पैनलबद्ध अस्पतालों में प्रदान किए जा रहे उपचार की निगरानी रखे।

ख. इलाज के लिए प्राधिकार पत्र

सेवारत कर्मचारियों/पेंशनर्स के मामले में सीएमएस / एमडी / सीएमओ / एसीएमएस-इंचार्ज..... के द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पत्र के आधार पर उपचार/कार्यवाही की जाएगी।

ग. अस्पताल में भर्ती होने से पहले जांच

सर्जरी के लिए फिटनेस के बारे में किसी भी वैकल्पिक प्रक्रिया के लिए सभी जांच अस्पताल में भर्ती करने से पहले की जाएगी और यह पैकेज का हिस्सा है।

घ. अतिरिक्त प्रक्रियाएं/जांच

अस्पताल रेलवे लाभार्थियों के उपचार के लिए पैनल में शामिल किया गया है। उस स्थिति से इतर जिसके लिए प्रारम्भ में अनुमति दी गई थी, कोई सामग्री / अतिरिक्त प्रक्रिया / जांच के लिए आपातकालीन स्थिति के अलावा राक्षग प्राधिकारी की अनुमति की आवश्यकता होगी।

ड़. वह प्रक्रिया जहां संदर्भित मामले में विशेषता (ओं) रखने वाले अस्पतालों मे उपचार कराने की आवश्यकता होती हो ओर जो भेजे जाने वाले अस्पताल में उपलब्ध नहीं हो

पैनल में शामिल अस्पताल संदर्भित मामलों में विशेषता रखने वाले अन्य किसी अस्पताल में वह उपचार नही कराएगा जो उपचार उसके अस्पताल में उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन वह रोगी को स्थिरता प्रदान कराने के लिए उपचार प्रदान करते हुए तथा इस बात की सूचना रेलवे अधिकारियों को देते हुए रोगी को सुरक्षित एवं उचित माध्यम से निकटतम रेलवे / सरकारी / पैनल अस्पताल में पहुंचाएगा। हालांकि, इस तरह के मामलों में , पैनलबद्ध अस्पताल, केवल अस्पताल में प्रदान किए गए उपचार के लिए ही सीजीएचएस दरों के अनुसार चार्ज करेगा।

च. बुनियादी ढांचे / कर्मचारियों में परिवर्तन की अधिसूचना रेलवे को देना

पैनलबद्ध अस्पताल परिसर के बुनियादी ढांचे / स्थानांतरण में किसी भी परिवर्तन के बारे में रेलवे अधिकारियों को तुरंत सूचित करेगा। रेलवे की पूर्व अनुमति के बिना सुविधा के किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरण के मामले में पैनल अस्थायी रूप से रोक दिया

जाएगा। उसी अस्पताल की नई स्थापना पर पैनल की निरंतरता के विचार के लिए , निर्धारित दर पर , एक ताजा निरीक्षण किया जाएगा।

छ. वार्षिक रिपोर्ट

पैनलबद्ध अस्पताल, अस्पताल में भर्ती किये गए रेलवे लाभार्थियों की संख्या, रेलवे को प्रस्तुत बिलों और भुगतान की प्राप्ति के बारे में एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। अस्पतालों की वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट को भी स्टेटमैन्ट के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। अस्पताल डिजिटल फॉर्मेट में सभी मेडिकल रिकॉर्ड प्रस्तुत करेगा।

ज. बैठक

काम करने की स्थिति में सुधार और शिकायतों के निवारण के संबंध में रेलवे द्वारा आयोजित आवधिक बैठकों में पैनल में शामिल स्वास्थ्य देखभाल संगठनों के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/प्रतिनिधि को भाग लेना होगा.

झ. निरीक्षण

रेलवे अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान, पैनल में शामिल स्वास्थ्य देखभाल संगठन के अधिकारी निरीक्षण किये जाने में सहयोग करेंगे।

ड़ कोई व्यावसायिक प्रचार नही किया जाएगा

अस्पताल रेलवे या भारत सरकार के नाम को व्यावसायिक प्रचार के लिए प्रयोग नहीं करेंगे। हालांकि, आईआरएमडी के तहत पैनलबद्ध होने तथा सीजीएचएस दरों के अनुसार शुल्क लिये जाने के बारे में पैनलबद्ध स्वास्थ्य देखभाल संगठन अपने परिसर में संकेत प्रदर्शित करेंगें।

4. आपातकाल स्थिति में उपचार

निम्नलिखित बीमारियों के रोगीयों का आपात स्थिति में इलाज किया जा सकता है **जो कि केवल उदाहरण ही हैं संपूर्ण नहीं,** यह रोगी की स्थिति पर निर्भर करता हैः

- एक्यूट कौरोनरी सिन्ड्राम (कौरोनरी आर्टरी बाय-पास ग्राफ्ट / परक्यूटेनियस, ट्रान्सल्यूमिनल कौरोनरी एन्जियोप्लास्टी) मायोकारडीयल इनफेकशन के साथ, अनस्टेबल एनजाइना, वेन्ट्रिकुलर एरीथीमियास, पैरोक्सिज़मल सुपरा वैन्ट्रिकुलर टैचीकारडिया, कारडिएक टैम्पोनेड, एक्यूट लैफ्ट वैनट्रिकूलर फेलियर / स्वियर कॉनजैस्टिव कॉरडिएक फेलियर, एक्सिलरेटेड हाइपरटेंशन, कम्पलिट हार्ट ब्लॉक एवं स्टोक एडम अटैक, एक्यूट डिस्सेकशन.

- एक्यूट लिम्ब ईस्कैमिया, रेपचर एन्यूरिज़म, मेडिकल एवं शल्य शॉक तथा पैरिफैरल सरकुलेटरी फेलियर.
- सैरेबरो-वसकूलर अटैक-स्टोक, अचानक मुर्छा आना, सिर पर चोट लगना, रैसीपरेटरी का फैलियर, डीकॉम्पनसेटेड फेफड़े की बिमारी, सैरेबरो-मैनिगियल.
- इन्फैक्शन, कॉन्वुलज़न, एक्यूट पैरालाइसिस, एक्यूट विज़ूअल लॉस.
- अत्यन्त पेट दर्द.
- सड़क यातायात दुर्घटना / गिरने के साथ चोट
- किसी भी कारणवश गंभीर हेमरेज
- गंभीर विष
- किडनी का बिल्कुल कार्य न करना (एक्यूट रेनल फेल्योर)
- ओब्सटेट्रीकल और गायनेकोलॉजिकल की विकट आपात स्थिति के साथ स्त्री में अत्यधिक पेट दर्द.
- इलेक्ट्रिक शॉक, कोई अन्य जानलेवा स्थिति.

आपात स्थिति में पैनलबद्ध अस्पताल भर्ती करने से मना नहीं करेंगे या रेलवे लाभार्थी या उसके पारिवारिक सदस्य (सदस्यों) से अग्रिम भुगतान की मांग नहीं करेंगे और मान्य रेलवे मेडिकल कार्ड प्रस्तुत करने पर रोगी को क्रेडिट सुविधाएं मुहैया कराएगा भले ही रोगी सेवारत कर्मचारी हो या पेंशनर, और अस्पताल प्रतिपूर्ति के बिल संबंधित रेल प्राधिकारियों को प्रस्तुत करेगा. आपातकालीन मामलों में वास्तविक रेलवे लाभार्थियों और लाभार्थियों की अन्य पात्र कोटियों को क्रेडिट आधार पर बिना किसी ठोस आधार के उपचार देने से मना करने पर पैनलबद्धता को जारी रखने से मना किया जा सकता है.

आपात की प्रकृति और औचित्य सत्यापन के अध्यधीन होगा, जिसे नामित प्राधिकरण द्वारा अनियमित आधार पर अपने विशेषाधिकार से सत्यापित, निरीक्षण और चिकित्सीय लेखा परीक्षा की जा सकती है.

अस्पताल रेल प्राधिकारियों की पूर्वानुमति के बिना आपातकालीन के रूप में भर्ती किए गए रोगियों के सभी मामलों को निर्धारित समय के भीतर सूचित करेगा.

5. विभिन्न प्रकार के वार्डों की हकदारी

रेल लाभार्थियों को विभिन्न प्रकार के वार्डों के लिए हकदारी वैसी ही होगी जैसा के.स.स्वा.यो. के लाभार्थियों के मामले में होता है. तद्नुसार, रेल लाभार्थी पे बैण्ड/पेंशन में

आहरित अपने वेतन के अनुसार प्राइवेट, सेमी प्राइवेट और जनरल वार्ड की सुविधाओं के हकदार होंगे. इन पात्रताओं को समय-समय पर संशोधित किया जाता है और इस संबंध में स्वा. एवं प.क. मंत्रालय द्वारा जारी अद्यतन आदेश को अनुसरण करने की आवश्यकता है. पात्रता निम्नानुसार है.

क्र.सं.	पे.बैण्ड/बेसिक पेंशन में आहरित वेतन	पात्रता
01	13,950 रु. तक	सामान्य वार्ड
02	13,960-19,530 रु. तक	सेमी प्राइवेट वार्ड
03	19,540 रु./- और उसके ऊपर	प्राइवेट वार्ड

क. प्राइवेट वार्ड एक अस्पताल के कमरे के रूप में परिभाषित है जहां रोगी को ठहराया जाता है और जिसमें टॉयलेट (लेवटॉरी और बाथ) साथ लगा हुआ होता है. कमरे में परिचारक के लिए बेड के साथ बार्डरोब, ड्रेसिंग टेबल, बेड-साइड टेबल, सोफासेट, कारपेट इत्यादि जैसे साज-सामान होना चाहिए. कमरे वातानुकूलित हों.

ख. सेमी प्राइवेट वार्ड एक अस्पताल के कमरे के रूप में परिभाषित है जहां तीन रोगियों को ठहराया जाता है जिसमें टॉयलेट सुविधाएं और आवश्यक साज-सामान उपलब्ध होता है.

ग. सामान्य वार्ड एक हॉल के रूप में परिभाषित है जिसमें चार से दस रोगियों को ठहराया जाता है.

जिस कोटि के हकदार हैं उससे उच्चतर कोटि के कमरे में उपचार अनुमेय नहीं हैं.

6. प्रभारित की जाने वाली अनुमोदित दरें.

पैनलबद्ध अस्पताल रेल लाभार्थियों से के.स.स्वा.यो. द्वारा यथा निर्धारित और अनुलग्नक (दर सूची) के रूप में यथा संलग्न विशेष प्रक्रिया/पैकेज समझौता के लिए दर के अनुसार प्रभारित करेंगे जो इस समझौते का एक अभिन्न अंग होगा. के.स.स्वा.यो. द्वारा अधिसूचित दरें स्वा.एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के वेबसाइट http://mstransparent.nic.in/cghsnew/index.asp पर भी उपलब्ध होंगी अथवा रेलों के साथ सहमत दरों के अनुसार जो भी कम हो.

पैकेज संबंधी दर की गणना निविदा दस्तावेज/ईओआई में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार की जाएगी. ठहरने की अवधि बढ़ जाने के कारण कोई अतिरिक्त प्रभार मान्य नहीं होगा यदि वह विस्तार सर्जिकल प्रक्रिया के परिणाम के रूप में संक्रमण के कारण या किसी अनुचित प्रक्रिया के कारण है और जो न्यायोचित नहीं है.

इस करार के तहत रेल लाभार्थियों के लिए कोई डायनोस्टिक जाँच, सर्जिकल प्रक्रिया और अन्य चिकित्सीय उपचार के लिए प्रक्रिया और पैकेज दरें इस करार की वैधता अवधि के दौरान _____(शहर का नाम) सूची की अद्यतन सीजीएचएस दर के अनुसार होगी. पैनलबद्ध स्वास्थ्य देखभाल संबंधी संगठन इस पर सहमत है कि रेल लाभार्थी के इन-पेशेंट उपचार के दौरान, अस्पताल लाभार्थी या उसके परिचारक से बाहर से दवाइयाँ/विविध/उपस्कर या सामान अलग से खरीदने के लिए नहीं कहेंगे और उपचार के.स.स्वा.यो. द्वारा निर्धारित पैकेज डील पर जिसमें सभी मदों की लागत शामिल है, के भीतर मुहैया कराएगा. शिकायत, चिकित्सीय लेखा-परीक्षा या रेलवे दल द्वारा किए गए निरीक्षणों के आधार पर उचित कार्रवाई जिसमें रेलवे एम्पैनलमेंट से हटाना और/या इस करार को समाप्त करना शुरू किया जाएगा. अस्पताल रेल लाभार्थियों को मान्य आई कार्ड/दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर के.स.स्वा.यो. की दरें प्रभारित करने पर सहमत हैं, यद्यपि उपचार रेफर्ड रेलवे लाभार्थी के रूप में नहीं लिया जा रहा है बल्कि आपातकालीन स्थिति में ले रहे हैं.

7. लाभार्थियों के उपचार के लिए भुगतान का तरीका

रेफर किए गए रेल लाभार्थियों के विषय में, सेवाएं क्रेडिट पर शुरू/मुहैया कराई जाएगी. उनसे किसी प्रकार के भुगतान की मांग नहीं की जाएगी और बिल संबंधित मंडल/क्षेत्रीय रेल के सीएमएस/एमडी/सीएमओ/एसीएमएस-इन-चार्ज के कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

8. बिल की चिकित्सीय लेखा परीक्षा

पैनलबद्ध निजी अस्पताल द्वारा मुहैया कराई जा रही सेवाओं की निरंतर चिकित्सीय लेखा परीक्षा होगा.

9. पैनलबद्ध हेल्थ केयर संगठनों की ड्यूटी तथा उत्तरदायित्व

पैनलबद्ध अस्पताल की हर समय यह ड्यूटी और जिम्मेवारी होगी कि वैध रजिस्ट्रेशन, मान्यता और उच्च गुणवत्ता और स्टैण्डर्ड की सेवाओं और हेल्थकेयर को प्राप्त करें, अनुरक्षण करें और बनाए रखें और उसके पास मौजूदा नियमों के तहत या अनुसार संबंधित प्राधिकारियों के सभी वैधानिक/अनिवार्य लाइसेंस, परमिट या अनुमोदन हों.

10. **समनुदेशन नहीं करनाः**

पैनलबद्ध अस्पताल इस करार के तहत निष्पादित किए जाने वाले अपने दायित्वों को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से समनुदेशित नहीं करेंगे सिवाय इसके कि यह समनुदेशन रेलवे के अपने एकमात्र विशेषाधिकार पर उनकी पूर्व लिखित सहमति और उन निबंधन एवं शर्तों, जैसा रेलवे द्वारा उपयुक्त माना जाएगा, से हो ऐसे कोई समनुदेशन से अस्पताल इस करार के अंतर्गत किसी बाध्यता अथवा दायित्व से मुक्त नहीं होगा.

11. **करार अवधि के दौरान पैनलबद्ध हेल्थ केयर संगठन की सत्यनिष्ठा और उत्तरदायित्वः**

पैनलबद्ध अस्पताल अत्याधुनिक तरीकों और आर्थिक सिद्धान्तों का उपयोग करते हुए करार में विनिर्दिष्ट निष्पादन को प्राप्त करने के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करते हुए करार के अनुसार सभी कांट्रेक्ट संबंधी गतिविधियाँ करने के लिए उत्तरदायी और बाध्य हैं. अस्पताल अपने प्राधिकार के भीतर कार्रवाई करने और रेलवे द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों को पालन करने के लिए बाध्य हैं. अस्पताल अपने कार्मिकों की गतिविधियों के प्रबंधन के लिए जिम्मेवार है और उनके व्यवहार, चूक, दुर्व्यवहार या सेवाओं में कमी, यदि कोई हो, के लिए स्वयं जिम्मेवार होगा.

12. **निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी)**

हेल्थ केयर संगठनों जिन्हें आरंभिक मूल्यांकन के बाद पैनलबद्ध करने के लिए सिफारिश की गई है, को 30 महीनों अर्थात कुशल सेवा और किसी प्रकार की कमी के विरुद्ध सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पैनलबद्ध करने की अवधि से आगे की 6 महीने अवधि के लिए मान्य निष्पादन बैंक गारंटी भी प्रस्तुत करनी होगी.

अस्पताल/कैंसर इकाई-10.00 लाख रु.

रेलवे द्वारा पहले से ही पैनलबद्ध सीजीएचएस पैनलबद्ध निजी हॉस्पिटलों के मामले में, अस्पताल मौजूदा निष्पादन गारंटी की वैधता समाप्त होने के बाद एक नई निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करेंगे.

13. **निष्पादन बैंक गारंटी को जब्त करना तथा पैनलबद्ध संगठनों की सूची से हटाना**

रेलवे के अंतर्गत पैनलबद्ध हेल्थ केयर संगठनों द्वारा समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में, जो इस प्रकार हैं :

1. सेवा से इन्कार
2. अनावश्यक प्रक्रिया शुरू करना
3. अनावश्यक दवा/जाँच के लिए कहना
4. ओवर बिलिंग

5. अस्पताल के पैनलबद्ध होने के बाद कर्मचारी/अवसंरचना/उपस्कर में कमी.
6. रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करना, आदतन देरी से प्रस्तुत करना या रिपोर्ट में गलत आंकड़े प्रस्तुत करना.
7. पात्र लाभार्थियों को क्रेडिट के लिए इनकार करना उनसे सीधा पैसा लेना.
8. यदि किसी भी स्तर पर एनएबीएच/एनएबीएल/क्यूसीआई द्वारा संस्तुत नहीं है.
9. सामान्य रोगियों की तुलना में रेलवे लाभार्थियों के साथ भेदभाव.

निष्पादन बैंक गारंटी जब्त कर ली जाएगी और रेलवे के पास हेल्थ केयर संगठन की मान्यता रद्द करने का अधिकार होगा, जैसा भी मामला हो, इस प्रकार की कार्रवाई शिकायत, रेलवे दल द्वारा अचानक की गई चिकित्सीय लेखा-परीक्षा या निरीक्षणों के आधार पर शुरू की जाएगी. रेलवे का निर्णय अंतिम होगा.

14. परिनिर्धारित नुकसानियाँ :

(क) पैनलबद्ध अस्पताल इस करार के प्रावधानों के अनुसार रेलवे द्वारा विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार सेवाएं मुहैया कराएगा. अस्पताल द्वारा करार के प्रावधानों के आरंभिक उल्लंघन के मामले जैसे सेवा से मना करना या रेल लाभार्थियों से सीधे पैसे माँगना या त्रुटिपूर्ण सेवा या लापरवाही में निष्पादन बैंक गारंटी की राशि के 5% के समतुल्य राशि रेलवे द्वारा सम्मत परिनिर्धारित नुकसानी के रूप में प्रभारित की जाएगी. बहरहाल, निष्पादन बैंक गारंटी की कुल राशि रिवॉल्विंग गारंटी होने के कारण यथावत बनाए रखी जाए.

(ख) पैनलबद्ध अस्पताल द्वारा बार-बार चूक करने के मामले में निष्पादन बैंक गारंटी जब्त कर ली जाएगी और हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन को रेलवे पैनलबद्धता से हटाने के साथ इस करार को समाप्त करने के लिए कार्रवाई की जाएगी.

(ग) ओवर-बिलिंग और अनावश्यक प्रक्रियाओं के लिए, प्रभारित की गई अतिरिक्त राशि पैनलबद्ध अस्पताल के लंबित/भविष्य के बिलों से काटी जाएगी और रेलवे के पास हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन को भविष्य में ऐसा नहीं करने के लिए लिखित चेतावनी जारी करने का अधिकार है. किसी प्रकार की पुनरावृत्ति होने की स्थिति में उस विशेष हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन को रेफरल बंद करना या रेलवे से मान्यता रद्द किया जा सकता है.

15 चूक के लिए करार को समाप्त करना:

रेलवे, करार के उल्लंघन के लिए किसी अन्य उपाय के पूर्वाग्रह के बिना, अस्पताल को भेजे गए चूक संबंधी लिखित नोटिस द्वारा करार को पूरा या आंशिक तौर पर समाप्त कर सकती है.

यदि पैनलबद्ध अस्पताल कोई या सभी सेवाएं मुहैया कराने में विफल रहता है जिसके लिए करार में विनिर्दिष्ट अवधियों के भीतर या करार की शर्त के अनुसरण में रेलवे द्वारा प्रदान की गई उसकी कोई समयवृद्धि के भीतर पैनलबद्ध किया गया है या यदि हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन इस करार के तहत किसी अन्य बाध्यताओं को पूरा करने में विफल रहता है.

यदि अस्पताल रेलवे के विचार में प्रतिस्पर्धिता के लिए या करार के निष्पादन में भ्रष्ट या धोखाधड़ी की गतिविधियों में संलिप्त होता है.

किसी एक अस्पताल द्वारा करार संबंधी ज्ञापन में यथा विनिर्दिष्ट किसी गलत कार्य के मामले में रेलवे के पास अपने अस्पतालों की पैनलबद्ध सूची में उस विशेष ग्रुप के सभी पैनलबद्ध अस्पतालों को हटाने का पूरा अधिकार है.

16. क्षतिपूर्ति

पैनलबद्ध अस्पताल इस करार के तहत सेवाओं के निष्पादन या संबंध में हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कुछ भी किए गए या तथाकथित किए जाने वाले के विषय में इसके विरुद्ध सभी कार्रवाइयों, मुकदमों, दावों या सामने लाए गए या किए गए मांग के एवज में और इस करार के निष्पादन के दौरान कुछ भी किए गए या तथाकथित किए जाने के लिए हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ-साथ (या अथवा) पार्टी के रूप में रेलवे/सरकार के विरुद्ध की जा रही किसी कार्रवाई या मुकदमा के परिणामस्वरूप रेलवे/सरकार को किसी प्रकार की हानि या क्षति के एवज में रेलवे/सरकार को हमेशा क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूरित रखेगा. हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन हमेशा भारत में प्रचलित जॉब संरक्षा उपायों और अन्य वैधानिक आवश्यकताओं का पालन करेगा और रेलवे को दुर्घटनाओं या जनहानि, जो अस्पताल की लापरवाही या गलत कार्यों के कारण या परिणामस्वरूप, से उत्पन्न माँगों या उत्तरदायित्वों से मुक्त रखेगा और क्षतिपूर्ति करेगा.

हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन रेलवे को बिना अतिरिक्त लागत के इस प्रकार की दुर्घटनाओं से उत्पन्न सभी क्षतिपूर्तियों का भुगतान करेगा और रेलवे को उत्तरदायी या बाध्य नहीं ठहराएगा. रेलवे/सरकार इस प्रकार का मुकदमा, या तो संयुक्त रूप से हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ या हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मुकदमा न लड़ने का निर्णय लेने की दशा में अकेले, अपने विशेषाधिकार से और पूर्ण रूप से हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन की लागत पर बचाव करेगी.

17. माध्यस्थम

यदि रेलवे और अस्पताल के बीच करार पर या उसके संबंध में या उससे किसी प्रकार का विवाद या मदभेद होगा (जिसका निर्णय इसमें अन्यथा नहीं दिया गया) उसे जोन

(उत्पादन इकाइयों पीयू के मामले में, पड़ोसी जोन) के सीएमडी को मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा जो पार्टियों को अपना निर्णय लिखित में देगा. सीएमडी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा. मध्यस्थता तथा समाधान अधिनियम, 1996 के प्रावधान मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू होंगे. मध्यस्थता संबंधी कार्यवाही का स्थल सीएमडी कार्यालय के शहर में होगा.

18. **विविध**

इस करार में किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाए कि पार्टियों के बीच मालिक और नौकर या रेलवे और हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के बीच प्रिंसिपल या एजेण्ट जैसा संबंध स्थापित या सृजित किया जा रहा है. हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन इस करार के तहत या अन्यथा कार्य या अपनी ड्यूटी निष्पादित करेंगे.

हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन इस बात से सहमत है कि किसी चूक या त्रुटि के कारण होने वाले दायित्व के लिए रेलवे के एजेंट के रूप में प्रतिनिधित्व नहीं करेगा अथवा स्वयं को प्रस्तुत नहीं करेगा.

रेलवे हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन की किसी लापरवाही या दुर्व्यवहार के लिए और अस्पताल द्वारा उसकी ओर से किए गए किसी ऑपरेशन के परिणामस्वरूप या स्वास्थ्य सेवाओं के निष्पादन के दौरान रेल लाभार्थियों के साथ हुई या द्वारा झेली गई किसी दुर्घटना, चोट या क्षति के लिए इसके कर्मचारियों की या तीसरी पार्टी के लिए जिम्मेवारी नहीं होगी, इसकी जिम्मेवारी विशिष्ट रूप से अस्पताल द्वारा ही वहन की जाएगी जो इस प्रकार की सेवाएं प्रदान करने में त्रुटि और/या कमियों के लिए अकेले ही जिम्मेवार होगा.

अस्पताल अपनी स्थिति या अपने शेयर होल्डिंग या विशेष रूप से किसी गारंटर को अधिसूचित करेगा जहाँ इस प्रकार के बदलाव का इस करार के तहत दायित्व के निष्पादन में प्रभाव पड़ेगा.

इस करार को दोनों पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित सहमति पर ही आशोधित या बदला जा सकता है.

यदि अस्पताल बंद हो जाता है या साझेदारी समाप्त हो जाती है, रेलवे के पास करार समाप्त करने का अधिकार होगा. करार के समाप्त होने से अस्पताल या उसके उत्तराधिकारी या कानूनी प्रतिनिधि उस अवधि जब करार लागू था, के दौरान हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मुहैया कराई गई सेवाओं के विषय में दायित्व से मुक्त नहीं होंगे.

अस्पताल इस करार को तैयार करने और स्टम्पिंग के लिए प्रासंगिक सभी व्ययों को वहन करेगा.

(उत्पादन इकाइयों पीयू के मामले में, पड़ोसी जोन) के सीएमडी को मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा जो पार्टियों को अपना निर्णय लिखित में देगा. सीएमडी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा. मध्यस्थता तथा समाधान अधिनियम, 1996 के प्रावधान मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू होंगे. मध्यस्थता संबंधी कार्यवाही का स्थल सीएमडी कार्यालय के शहर में होगा.

18. **विविध**

इस करार में किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाए कि पार्टियों के बीच मालिक और नौकर या रेलवे और हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के बीच प्रिंसिपल या एजेण्ट जैसा संबंध स्थापित या सृजित किया जा रहा है. हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन इस करार के तहत या अन्यथा कार्य या अपनी ड्यूटी निष्पादित करेंगे.

हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन इस बात से सहमत है कि किसी चूक या त्रुटि के कारण होने वाले दायित्व के लिए रेलवे के एजेंट के रूप में प्रतिनिधित्व नहीं करेगा अथवा स्वयं को प्रस्तुत नहीं करेगा.

रेलवे हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन की किसी लापरवाही या दुर्व्यवहार के लिए और अस्पताल द्वारा उसकी ओर से किए गए किसी ऑपरेशन के परिणामस्वरूप या स्वास्थ्य सेवाओं के निष्पादन के दौरान रेल लाभार्थियों के साथ हुई या द्वारा झेली गई किसी दुर्घटना, चोट या क्षति के लिए इसके कर्मचारियों की या तीसरी पार्टी के लिए जिम्मेवारी नहीं होगी, इसकी जिम्मेवारी विशिष्ट रूप से अस्पताल द्वारा ही वहन की जाएगी जो इस प्रकार की सेवाएं प्रदान करने में त्रुटि और/या कमियों के लिए अकेले ही जिम्मेवार होगा.

अस्पताल अपनी स्थिति या अपने शेयर होल्डिंग या विशेष रूप से किसी गारंटर को अधिसूचित करेगा जहाँ इस प्रकार के बदलाव का इस करार के तहत दायित्व के निष्पादन में प्रभाव पड़ेगा.

इस करार को दोनों पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित सहमति पर ही आशोधित या बदला जा सकता है.

यदि अस्पताल बंद हो जाता है या साझेदारी समाप्त हो जाती है, रेलवे के पास करार समाप्त करने का अधिकार होगा. करार के समाप्त होने से अस्पताल या उसके उत्तराधिकारी या कानूनी प्रतिनिधि उस अवधि जब करार लागू था, के दौरान हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मुहैया कराई गई सेवाओं के विषय में दायित्व से मुक्त नहीं होंगे.

अस्पताल इस करार को तैयार करने और स्टम्पिंग के लिए प्रासंगिक सभी व्ययों को वहन करेगा.

19. **मुहैया कराई जाने वाली अन्य सेवाएं**

पैनलबद्ध अस्पताल, रेलवे के अनुरोध पर, रेलवे चिकित्सीय, अर्द्ध-चिकित्सीय और नर्सिंग **कर्मचारी को प्रशिक्षण** मुहैया कराने के लिए सहमत हैं.

20. **पैनल से बाहर निकालना**

.....**(शहर** का नाम) के लिए के.स.स्वा.यो. द्वारा निर्धारित दरें लागू रहेंगी, जब **तक के.स.स्वा.यो**. द्वारा संशोधित नहीं कर दी जाती है. यदि अधिसूचित दरें पैनलबद्ध **हेल्थ केयर** ऑर्गेनाइजेशन को स्वीकार्य नहीं है या किसी अन्य कारण से, हेल्थ केयर **ऑर्गेनाइजेशन** रेलवे के तहत सूचीबद्ध के रूप में जारी नहीं रहना चाहता है तो यह एक **महीने** का नोटिस देते हुए पैनल से बाहर होने के लिए आवेदन कर सकता है. पहले से **भर्ती** रोगियों को दो पार्टियों के बीच सहमति वाली दरों के अनुसार उपचार जारी रहेगा.

21. **नोटिस**

21.1 इस करार के अनुसरण में एक पार्टी द्वारा दूसरी पार्टी को दिया जाने वाला किसी प्रकार का नोटिस दूसरी पार्टी को रजिस्टर्ड डाक या फैक्स द्वारा लिखित में भेजा जाएगा और दूसरी पार्टी के नीचे के पते पर डाक द्वारा मूलप्रति से पुष्टि की जाएगी.

रेलवेः सीएमएस/एमडी/सीएमओ/एसीएमएस-इन चार्ज .....

अस्पताल का पताः

(.....)

21.2 नोटिस सुपुर्दगी की तारीख या नोटिस प्रभावी होने की तारीख, जो बाद में हो, से प्रभावी होगा. रजिस्टर्ड पत्र सुपुर्द किया गया माना जाएगा भले ही यह इन्कार, छोड़ दिया, परिसर बंद इत्यादि जैसे अभ्युक्तियों के साथ वापस किया जाता है.

इसके साक्ष्य स्वरूप, पार्टियों ने यह करार किया है जिसे उपर्युक्त दिन, महीने और वर्ष को हस्ताक्षरित और निष्पादित किया जाना है.

सीएमएस//एमडी/सीएमओ/एसीएमएस-इन-चार्ज

.....रेलवे अस्पताल

.....द्वारा हस्ताक्षरित

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से

निम्नलिखित की उपस्थिति में

(साक्षी)

1.

2.

द्वारा हस्ताक्षरित

(अस्पताल) के लिए और उनकी ओर से

(अस्पताल का नाम) दिनांक.....के

संकल्प सं.....द्वारा विधिवत प्राधिकृत

निम्नलिखित की उपस्थिति में

(साक्षी)

1.

2.